कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–3 / 55 / 2018 / 10–11 / 5 / 830 भोपाल, दिनांक 8/3/22

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र
केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई–5, लिंक रोड़ नं. 3
रविशंकर नगर भोपाल–462016

विषयः– जिला टीकमगढ़ के अंतर्गत सतधारा तालाब सिचांई परियोजना के निर्माण हेतु 39.00 हेक्टेयर वनभूमि जल संसाधन विभाग को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र, भोपाल का पत्र क्रमांक 6-MPC 040/2020-BHO/785 दिनांक 23.11.2021

----0----

विषयांतर्गत भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से चाहे अनुसार वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, टीकमगढ़ को पुनः स्थल निरीक्षण करने हेतु निदेर्शित किया गया।

वनमण्डलाधिकारी, टीकमगढ़ के प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार कक्ष क्रमांक पी–242 एवं पी–243 के मुनारे क्रमांक 51 व 52 के मध्य दिखाई दे रही वनभूमि को दिनांक 31.12.1976 के अतिक्रमण वन व्यवास्थपन के तहत डीनोटिफिकेशन के माध्यम से राजस्व विभाग को हंस्तातरित कर दी गई थी। डीनोटिफाईड क्षेत्र को बीट मानचित्र पर मुनारा क्रमांक 51ए से 51जी एवं 52ए से 52बी से चिन्हित किया गया है।

उपवनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़, सिंचाई विभाग के अनुविभागीय अधिकारी एवं स्थानीय वन अमले द्वारा वनभूमि के सत्यापन उपरान्त सतधारा तालाब मे 39.00 हे0 वनभूमि ही प्रभावित होना पाया गयी हैं।

उपरोक्त डीनोटिफिकेशन दिनांक 24.11.1990 की प्रति, बीट मानचित्र की प्रति एवं वनक्षेत्र की के.एम.एल. फाईल सी.डी. मे संलग्न प्रेषित कर अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

8/3/2022

(सुनील अग्रवाल)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

पृ0 क्रमांक / एफ–3 / 55 / 2018 / 10–11 / 5 / 831 भोपाल, दिनांक 8/3/22

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), वृत्त छतरपुर, मध्यप्रदेश।
2. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल टीकमगढ़, मध्यप्रदेश।
3. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

8/3/2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

D:\AJ\Data-irrigation\Section F-3 (Part-II).docx